

शपथ पत्र/AFFIDAVIT

मैं कि शपथकर्ता/कर्ती

निवासी

सशपथ बयान करता/करती हूँ, कि:-

1. यह कि शपथकर्ता/कर्ती उपरोक्त पते का स्थायी निवासी एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि शपथकर्ता/कर्ती स्वयं अपनी जिम्मेदारी में अधिसूचित क्षेत्र छियालेख मार्ग से आदि कैलाश/ऊँ पर्वत (ब्यासघाटी)/धार्मिक यात्रा/साहसिक पर्यटन के उद्देश्य से जा रहा है/जा रही है।
3. यह कि शपथकर्ता/कर्ती के साथ यदि यात्रा मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना अथवा क्षति कारित होती है, तो उक्त यात्रा में हुई क्षति/दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी न कि स्थानीय प्रशासन की होगी।
4. यह कि शपथकर्ता/कर्ती द्वारा अपनी धार्मिक यात्रा/साहसिक पर्यटन यात्रा हेतु प्रस्तुत किया गया चिकित्साकीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सही है एवं यह मान्यताप्राप्त एवं पंजीकृत चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत/जारी किया गया है, यदि शपथकर्ता गलत/फर्जी चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उक्त प्रमाण पत्रों हेतु मैं स्वयं विधि के अधीन विधिनुसार दण्ड का भागी होऊंगा।
5. यह कि शपथकर्ता/कर्ती द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र/ईनर लाईन क्षेत्र में प्रवेश हेतु निर्मित सभी कानूनों/नियमों का पालन करेगा।
6. यह कि शपथकर्ता/कर्ती अधिसूचित क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र में किसी भी प्रकार से पालीथीन अथवा अजैविक प्रदार्थों का उपयोग नहीं करेगा और उक्त संरक्षित क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचायेगा, एवं यात्रा प्रशासन द्वारा बनाये गये नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।
7. यह कि शपथकर्ता/कर्ती प्रतिबन्धित क्षेत्र/ईनर लाईन क्षेत्र में यात्रा सम्बंधी अनुज्ञा पत्र (Inner Line Permit) में अंकित अवधि तक ही प्रतिबन्धित क्षेत्र/ईनर लाईन क्षेत्र में रहेगा।

दिनांक:- / /2025

सत्यापन

हउ शपथकर्ता।

मैं सशपथ बयान करता हूँ कि पैरा नं 1 से 6 तक लिखी गयी तथ्य एवं साक्ष्यों को न्यायालय धारचूला में सत्य होना घोषित करता हूँ।

